



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062025-263915
CG-DL-E-17062025-263915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2650]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947

No. 2650]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

का.आ. 2715(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 14 और मद 15 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4822(अ), तारीख 6 नवंबर, 2024 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 नवंबर, 2024 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा की प्रास्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगे हुए उद्योगों की सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/01/2023-आईआर(पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2025

S.O. 2715(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Lead and Zinc Mining Industry, which are covered under items 14 and 15 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 9th November, 2024 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 4822(E), dated the 6th November, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the status of the said industry as the public utility service for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industries engaged in the Lead and Zinc Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-11017/01/2023-IR(PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.